रजिस्ट्री सं० डी० एल०–33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2806]	नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2017/आश्विन 7, 1939
No. 2806]	NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2017/ASVINA 7, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितंबर, 2017

का.आ. 3207 (अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद, यह मानते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक एवं समयोचित है, एतद्वारा ऊर्जा दक्ष इंडक्शन मोटर्स-थ्री फेज स्क्वीरल केज (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2017 में संशोधन हेतु निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:—

1. यह आदेश ऊर्जा दक्ष इंडक्शन मोटर्स-थ्री फेज स्क्वीरल केज (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2017 कहलाएगा।

2. ऊर्जा दक्ष इंडक्शन मोटर्स-थ्री फेज स्क्वीरल केज (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2017 में,

   (i) खंड 1, उप-खंड (ii) में "01.10.2017 से" शब्द तथा आंकड़ों को "1 जनवरी, 2018 से" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

   (ii) खंड (3) के उप-खंड (i) में परंतुक को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—

   "बशर्ते कि ऊर्जा दक्ष इंडक्शन मोटर्स-थ्री फेज स्क्वीरल केज जो विदेशी क्रेता द्वारा अपेक्षित विनिर्देशनों के अनुरूप हों, "के निर्यात के संदर्भ में इस आदेश के प्रावधान लागू नहीं होंगे।"

   (iii) खंड 5 के उप-खंड (1) में मद (ग) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—

   "(ग) किसी परिसर में प्रवेश एवं जांच कर सकता है तथा ऊर्जा दक्ष इंडक्शन मोटर्स-थ्री फेज स्क्वीरल केज के तैयार स्टॉक (बिक्री के लिए तैयार) को जब्त कर सकता है जिसके संबंध में यह विश्वास स्थापित हो कि इस आदेश के किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है अथवा उक्त ऊर्जा दक्ष इंडक्शन मोटर्स-थ्री फेज स्क्वीरल केज तथा सहायक सामग्री विहित मानक के अनुसार नहीं हैं।"

(iv) खंड 9 के बाद निम्नलिखित खंड शामिल किया जाएगा, नामत:—

"10. **उल्लंघन करने पर दंड –** कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा उसे भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम की धारा 14 का उल्लंघन माना जाएगा तथा उसे उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।"

[फा. सं. 14(85)/2011-एलईआई]

शैलेन्द्र सिंह, अपर सचिव

नोट:- मुख्य अधिसूचना का.आ. 178(अ), दिनांक 18 जनवरी, 2017 के अंतर्गत भारत के राजपत्र (असाधारण) में जारी की गई थी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

ORDER

New Delhi, the 29th September, 2017

S.O. 3207(E).—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary and expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Energy Efficient Induction Motors–Three Phase Squirrel Cage (Quality Control) Order, 2017, namely :—

1. This Order may be called the Energy Efficient Induction Motors–Three Phase Squirrel Cage (Quality Control) Amendment Order, 2017.
2. In the Energy Efficient Induction Motors – Three Phase Squirrel Cage (Quality Control) Order, 2017,

(i) in clause 1, in sub-clause (ii) for the word and figures "from 01.10.2017", the words, letters and figures "from the 1st January, 2018" shall be substituted;

(ii) in clause (3), in sub-clause (i), for the proviso, the following shall be substituted, namely:—

"Provided that nothing in this Order shall apply in relation to export of Energy Efficient Induction Motors – three Phase Squirrel Cage, which may conform to any specification required by the foreign buyer."

(iii) in clause 5, in sub-clause (1) for item (c), the following shall be substituted, namely:—

"(c) enter and search any premises and seize Energy Efficient Induction Motors – three Phase Squirrel Cage in finish stock condition (ready for sale) in respect of which it has reason to believe that a contravention of any provision of this Order has been committed or the said Energy Efficient Induction Motors – three Phase Squirrel Cage and accessories are not of the specified standard.";

(iv) after clause 9, the following clause shall be inserted, namely:—

"10. **Penalty for Contravention -** Any person who contravenes the provisions of this order shall be deemed to have violated the provisions section 14 of the Bureau of Indian Standards Act and shall be punishable in accordance with the provisions of the said Act.".

[F. No. 14(85)/2011-LEI]

SHAILENDRA SINGH, Addl. Secy.

Note : The principal notification was issued in the Gazette of India (Extraordinary) *vide* number S.O. 178(E), dated the 18th January, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.10.05 16:54:34 +05'30'